

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

कमांक-भू.अ./20 /

प्रेषित, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़

महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सीता पति जगदीश भाट रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम रोलाहेडा में जमावन्दी संवत् की खाता संख्या 253 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम सा. रोलाहेडा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम सा. रोलाहेडा को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

कमांक-रीडर/20 27 864

दिनांक-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135 पति जगदीश भाट प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री सीता पति जगदीश भाट राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 253 में जाति/नाम सा. रोलाहेडा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम सा. रोलाहेडा प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा भी जाति सम्मानजनक किये जाने की अनुशंखा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सीता पति जगदीश भाट जाति/नाम सा. रोलाहेडा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौड़गढ़ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़